न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 21/2017

RCMS No. : 2017/00184

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली | | 1 महेन्द्र कुमार पुत्र घीसूलाल जाति माली मैसर्स शिवधारा मिनरल वाटर (आर.ओ.) तिलक मार्ग, बगड़ी रोड़, सोजत रोड़, जिला पाली। |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–
खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
अप्रार्थी अनुपस्थित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक-2/3/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी 13.12.2017 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपना लिखित जवाब पेश किया किया। आज न्यायालय में अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 14.07.2016 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स शिवधारा मिनरल वाटर (आर. ओ.) तिलक मार्ग, बगड़ी रोड़, सोजत रोड़, जिला पाली पर गया। जहां पर अप्रार्थी उपस्थित मिला, जिसने अवगत कराया कि वह फर्म मालिक है। गोदाम का निरीक्षण करने पर मौके पर Packaged Drinking Wate (Pouch) ब्राण्ड शिवधारा के लगभग 10 कट्टे पेक अवस्था में रखे थे, जिनमें मिलावट का शक हुआ। इसलिए रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5 ए भरकर दिया व प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। बिक्री हेतु रखे Packaged Drinking Wate (Pouch) ब्राण्ड शिवधारा के 64 पाउच वास्ते जॉच हेतु क्रय किया तथा इसका मूल्य 64 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की तथा उक्त क्रयसुदा Packaged Drinking Wate (Pouch) ब्राण्ड शिवधारा को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–543 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./820/एक्ट/2016/858 दिनांक 25.07.2016 में प्रार्थी द्वारा लिया गया Packaged Drinking Wate (Pouch) ब्राण्ड शिवधारा को Prohibited and Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Prohibited and Mis Branded Packaged Drinking Wate (Pouch) ब्राण्ड शिवधारा का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.07.2016 को दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म (गोदाम) पर गया तो, वहां पर महेन्द्र कुमार माली (मालिक) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.07.2016 को आमजन में बिक्री हेतु रखे Packaged Drinking Wate (Pouch) ब्राण्ड शिवधारा के पाउच को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–735 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./820/एक्ट/2016/858 दिनांक 25.07.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–543 को "The sale of this sample of Packaged Drinking Water (Shiv Dhara brand) bearing Code NO. and Sr.No. R-543 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali Prohibited as it contravenes regulation No.2.3.14.(17) of Food Safety and Standards (Prohibition of Restriction on sales) Regulation, 2011. This sample is also contravenes section 24.2(a) of Food Safety and Standards Act-2006 and Misbrand under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act-2006 माना है। इस संबंध में अप्रार्थी ने भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार किया है। प्रार्थी द्वारा लिया गया सेम्पल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Proibited and Mis Branded Packaged Drinking Wate (Pouch) ब्राण्ड शिवधारा का विनिर्माण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 2/3/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली